अनवान विक्रान्त बनाम महावीर
वाद मुकदमा नं. 90/2019

संशोधित डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

1. विक्रान्त पुत्र श्री महावीर, जाति जाट (कासनियां), आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी गांव महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) हाल निवासी गुरुग्राम (हरियाणा)
2. योगेन्द्र पुत्र श्री महावीर, जाति जाट (कासनियां), आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी गांव महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।

वादीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र स्व0 श्री मनीराम, जाति जाट (कासनियां), निवासी गांव महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. रणवीर पुत्र स्व0 श्री मनीराम, जाति जाट (कासनियां), निवासी गांव अनिल जोशी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री मनीराम, जाति जाट (कासनियां), निवासी गांव महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. भीम सैन पुत्र स्व0 श्री मनीराम, जाति जाट (कासनियां), निवासी गांव महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
5. स्टेट ऑफ़ राजस्थान द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर
6. कॉर्पोरेशन बैंक शाखा श्रीगंगानगर

... प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

वादपत्र संख्या 90/2019
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा पूर्व में जारी डिकी दिनांक 17.06.2025 में लिपिकीय त्रुटिवश वादाधीन भूमि के स्थान पर अन्य भूमि दर्ज हो गई थी। अतः पक्षकारों के प्रार्थना पत्र पर पूर्व में जारी डिकी आदेश दिनांक 17.06.2025 को निरस्त कर वादीगण अधिवक्ता श्री शुभम पचार, अधिवक्ता श्री अनित जोशी (प्रतिवादी 1 व 2, 4) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रखरा (प्रतिवादी 6)एवं पैरोकार राज प्रतिवादी–5 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 महावीर के नाम कृषि भूमि चक 6 एम एल के मु0न0 29 के किला नं0 12 ता 15 की 1.012 हैक्टेयर, किला नं0 16/1 की 0.118 हेक्टेयर, किला नं0 17/1 की 0.118 हैक्टेयर, किला नं0 18/1 की 0.118 के हैक्टेयर, किला नं0 19/1 की 0.118 हैक्टेयर व इसी मुरब्बा किला नं0 6/2 की 0.107 हैक्टेयर, किला नं0 7/2 की 0.107 हैक्टेयर, किला नं0 8/2 की 0.107 हैक्टेयर, किला नं0 9/2 की 0.107 हैक्टेयर कुल 1.912 हैक्टेयर एंव चक 6 एम एल के मुरब्बा नम्बर 30 के नं0 6/2 की 0.107 हैक्टेयर, किला नं0 7/2 की 0.107 हैक्टेयर, किला नं0 8/2 की 0.107 हैक्टेयर, किला नं0 9/2 की 0.107 हैक्टेयर, 10/2 की 0.107 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

किला नं0 11 ता 15 में 1.265 हैक्टेयर एंव किला नं0 16/1 का 0.118 हैक्टेयर, किला नं0 17/1 में 0.118 हैक्टेयर, किला नं0 18/1 में 0.118 हैक्टेयर, किला नं0 19/1 में 0.118 हैक्टेयर, 20/1 में 0.118 हैक्टेयर कुल 2.390 हैक्टेयर इस से उपरोक्त दोनों मुरब्बाजात नम्बर 29 व 30 में कुल 4.302 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 व 2 एंव प्रतिवादी संख्या 1 तीनों को 1/3–1/3 हिस्सा का वहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

वाद व्यय रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य..... दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

यह संशोधित डिक्री आज दिनांक 17.06.25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

वादीगण	राशि (00.00)	प्रतिवादीगण	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner